रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265789
CG-DL-E-29082025-265789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947
No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 586(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के साथ पठित, उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (योद्धक अनुसचिवीय काडर) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय), उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सहायक उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (योद्धक अनुसचिवीय संवर्ग), समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति .—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. अधिवर्षिता: -—(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में करता है, उस माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा:

परंतु यह कि जिस व्यक्ति के जन्म की तारीख किसी माह की प्रथम तारीख है वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले माह से पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा।

साठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के पश्चात्, किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा ।

7. चिकित्सा योग्यता - प्रोन्नति के लिए चिकित्सा मानक. — इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-I में हैं, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

8. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

10. सेवा का उत्तरदायित्व.— इन नियमों के तहत पदों के किसी भी वर्ग में नियुक्त किया जाने वाला जो कोई भी व्यक्ति भारत अथवा विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पदों की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**
(1)	(2)	(3)
1. सहायक कमाण्डेंट (अनुसचिवीय) ।	122* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय (योद्धक)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होती ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होती ।	लागू नहीं होती ।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		
(10)		
प्रोन्नति द्वारा ।		
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।		
(11)		
प्रोन्नति : निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा निम्नलिखित को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अर्थात:- (i) प्रारंभ स्तर के पद के लिए, यथाविहित, बुनियादी प्रशिक्षण ; और (ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। **टिप्पण :** जो विद्यमान निरीक्षक (अनुसचिवीय) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को नियमित तौर पर पद पर आसीन है, उसके संदर्भ में पात्रता सेवा तीन वर्ष की बनी रहेगी।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)		(13)
समूह''क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)] जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य, 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य, 4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)] जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य, 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य, 4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य।		लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)
2. निरीक्षक (अनुसचिवीय)।	514* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित अनुसचिवीय (योद्धक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)।	चयन पद।	लागू नहीं ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होती ।	लागू नहीं होती ।	लागू नहीं होती ।

(10)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(11)
प्रोन्नति : सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये) श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है तथा निम्नलिखित को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अर्थात:- (i) प्रारंभ स्तर के पद के लिए, यथाविहित, बुनियादी प्रशिक्षण ; और (ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण को पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों के अधिकारी,- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; (ii) स्थापना या प्रशासन या सेवा या वित्तीय और अन्य संबंधित मामलों में अनुसचिवीय कार्य में दो वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी अथवा हिंदी टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव। **टिप्पणी 1:** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है,साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)] जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य, 3. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
3. उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) ।	1024* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय (योद्धक) ।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होती।	लागू नहीं होती।	दो वर्ष।
(10)		
पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।		
(11)		

प्रोन्नति :

सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रुपये) श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है तथा निम्नलिखित को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अर्थात:-

(i) प्रारंभ स्तर पद के लिए, यथाविहित, बुनियादी प्रशिक्षण; और

(ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण को पूरा किया हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों के अधिकारी,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 – 92300/- रुपये) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि;

(ii) स्थापना या प्रशासन या सेवा या वित्तीय और अन्य संबंधित मामलों में अनुसचिवीय कार्य में दो वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी अथवा हिंदी टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव।

टिप्पणी 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)] जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य, 3. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के	लागू नहीं होता।

लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य, 3. कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल, - सदस्य।		
(1)	(2)	(3)
4. सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) ।	1402* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय (योद्धक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)।	चयन पद।	लागू नहीं ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होती।	लागू नहीं होती।	लागू नहीं होती।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।		
(11)		

प्रोन्नति :

सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100/- रुपये) श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है तथा निम्नलिखित को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अर्थात:-

(i) प्रारंभ स्तर पद के लिए, यथाविहित, बुनियादी प्रशिक्षण; और

(ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित, पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण को पूरा किया हो ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस या संघ राज्यक्षेत्र पुलिस संगठनों के अधिकारी,-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100/- रुपये) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण;

(ii) अभ्यर्थियों को अंग्रेजी अथवा हिंदी टंकण का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव तथा कार्यालयीन अथवा अनुसचिवीय कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पणी 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार

किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)] जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष, 2. दो कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. सी-17/07/2018/ कार्मिक-गोपनीय/सीसुब]

जूही वर्मा, निदेशक (कार्मिक व समन्वय)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

G.S.R. 586(E).—— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub- section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force (Combatised Ministerial Cadre), Group 'A', Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Ministerial), Inspector (Ministerial), Sub-Inspector (Ministerial) and Assistant Sub-Inspector (Ministerial) in the Border Security Force, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force (Combatised Ministerial Cadre), Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. – The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications – No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there the other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Superannuation.- (1) A person appointed under the provisions of these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month of attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

7. Medical Fitness.- Medical standard for promotion.- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I shall be eligible for promotion to the posts specified in the column (1) of the Schedule.

8. Powers to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.– Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. Liability of service.- Any person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

SCHEDULE

<table>
<tr><th>Name of post.</th><th>Number of post.</th><th>Classification.</th><th>Level in pay matrix.</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1. Assistant Commandant (Ministerial).</td><td>122* (2025)
*(Subject to variation dependent on workload).</td><td>General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Ministerial (Combatised).</td><td>Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Whether selection post or non-selection post.</td><td>Age-limit for direct recruits.</td><td>Educational and other qualifications required for direct recruits.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Selection post.</td><td>Not applicable.</td><td>Not applicable.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</td><td>Period of probation, if any.</td><td>Method or recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Not applicable.</td><td>Two years.</td><td>By promotion.</td></tr>
<tr><td colspan="4">In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.</td></tr>
<tr><td colspan="4">(11)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Promotion: Inspector (Ministerial) in level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the following, namely:-

(i) basic training as prescribed for entry level post; and

(ii) shall have undergone courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time.

Note: The eligibility service shall continue to be three years in respect of the existing Inspector (Ministerial) holding the post on regular basis as on the date of notification of these rules.</td></tr>
</table>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director General, Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- 1. Director General, Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Inspector (Ministerial).	514* (2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised).	Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Sub-Inspector (Ministerial) in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix of the Border Security Force with five years regular service in the grade and having successfully completed the following, namely: - (i) basic training as prescribed for entry level post; and (ii) shall have undergone courses or training as prescribed by Director General, Border Security Force from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or the State Police or the Union territory Police organisations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

	(ii) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications, namely: - (i) Bachelors Degree from a recognised University or institution; (ii) two years experience in ministerial work in establishment or administration or service or financial and other related matters with knowledge of English or Hindi typing with working experience on computer. **Note 1:** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Commandant, Border Security Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Sub-Inspector (Ministerial).	1024* (2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised).	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection post.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

(11)

Promotion: Assistant Sub-Inspector (Ministerial) in level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix of the Border Security Force with six years regular service in the grade and having successfully completed the following, namely:-

(i) basic training as prescribed for entry level post; and

(ii) shall have undergone courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force from time to time.

Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or the State Police or the Union territory Police Organisations,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years regular service in level-5 (Rs.29200-92300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications, namely:-

(i) Bachelors Degree from a recognised University or institution;

(ii) two years experience in ministerial work in establishment or administration or service or financial and other related matters with knowledge of English or Hindi typing with working experience on computer.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of **:-** 1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Commandant, Border Security Force - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Commandant, Border Security Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Assistant Sub-Inspector (Ministerial).	1402* (2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group, 'C', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised).	Level-5 (Rs. 29200-92300) In the pay matrix.

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Head Constable (Ministerial) in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix of the Border Security Force having five years regular service in the grade and having successfully completed the following, namely :- (i) basic training as prescribed for entry level post; and (ii) shall have undergone courses or training as prescribed by Director General, Border Security Force from time to time. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or the State Police or the Union territory Police organisations,-

	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- (i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) the candidates shall have knowledge of English or Hindi typing with working experience on computer and experience to deal with official or ministerial work. **Note 1:** The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**: -** 1. Deputy Inspector General, Border Security Force. - Chairperson; 2. Two Commandants, Border Security Force. - Members.	Not applicable.

[F. No. C-17/07/2018/Pers-Confd/BSF]

JUHI VERMA, Director (P&C)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.29 18:45:47 +05'30'